न्यायालय [illegible]

फर्द अहकाम

धारा 34 [illegible] बनाम [illegible]

नाम न्यायालय

केस संख्या 118/22 12

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टि[illegible]
	3/7/2024	पत्रावली प्रस्तुत है व०क० उप०। अन्य पक्ष ने बहस हेतु समय चाहा। आ.ता. पेशी पर बहस नहीं करने पर प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा गुणावगुण के आधार पर निस्तारित कर दिया जावेगा। पत्रावली दिनांक 8/7/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	
प्रार्थी अधि.	8/7/2024	पत्रावली प्रस्तुत। व०क० उप०। अप्रार्थी अधि. ने बहस हेतु समय चाहा। एक अंतिम अवसर दिया जाता है आ.ता. पेशी पर बहस नहीं करने पर प्रार्थना पत्र गुणावगुण के आधार पर निस्तारित कर दिया जावेगा। पत्रावली दिनांक 19/7/2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर पत्रावली आज दिनांक 19/7/24 को पेश हुई। पीठासीन अधिकारी आज अवकाश पर है, पत्रावली अनुसार दिनांक 30/7/24 को पेश हो।	
	30/7/2024	पत्रावली प्रस्तुत। व०क० उप०। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

Scanned with ACE Scanner

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : मिथलेश मीणा
आर.ए.एस.

नियमित प्रा. पत्र संख्या – 118/2022 प्रार्थना पत्र प्रस्तुति दिनांक –28.11.2022

नानूडा बनाम कानाराम

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

उपस्थिति :–

1. श्री जगदीश सैनी – अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री रामेश्वर प्रसाद – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से

दिनांक 30.07.2024

<u>निर्णय</u>

हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अंकित किया है कि ग्राम बुगालिया पटवार हल्का बिचपडी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में खसरा नंबर 301 रकबा 1.4900 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ते की भूमि है, जो ग्राम बुगालिया वाया चौमूं में जाने के लिए मैन रोड सरकार द्वारा पक्की सडक डाली हुई है और पक्की सडक के दोनों और इसी खसरे का रास्ते का गलियारा स्थित है जिसके पूर्व की ओर प्रार्थी की खातदेरी भूमि खसरा नंबर 567/249 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 565/243 रकबा 0.5000 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी भुमि स्थित है जिसमें प्रार्थी एवं प्रार्थी एवं पूर्वाधिकारी करीब सैकडों साल पूर्व से इस रास्ते के खसरे का रास्ते के रूप में उपयोग करते आ रहे हैं इसी रास्ते की भूमि से होकर अपनी खातेदारी भूमि में आते जाते रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 01 ता 04 प्रार्थी की भूमि के आगे स्थित रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर प्रार्थी के रास्ते को बंद कर प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग करने के अधिकार से वंचित कर देना चाहते है। इस उद्देश्य से अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त रास्ते की भूमि पर अपने बाडे में बनी झोपडी को प्रार्थी द्वारा अपने पुत्रों के साथ मिलकर हटाने, दो ट्रोली पत्थर व चारों तरफ की हुई तारबंदी एवं छप्पर को उखाड कर ले जाने सहित कई गम्भीर आरोप लगाते हुए दिनांक 06.08.2022 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 324/2022 पुलिस थाना कालवाड में एस.सी/एसटी एक्ट में दर्ज करवा दिया गया ताकि प्रार्थी को मजबूर कर अप्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि पर कब्जा कर प्रार्थी को मजबूर कर अप्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि पर कब्जा कर प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग के अधिकार से वंचित किया जा सके। अप्रार्थी संख्या 01 ता 04 उक्त रास्ते की भूमि पर कब्जा कर प्रार्थी को उक्त वर्णित उसकी खातेदारी भूमि के

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

उपयोग उपभोग के अधिकार से वंचित करने कि नियत से दिनांक 20.11.2022 को रास्ते को बंद कर प्रार्थी को भूमि के अंदर नहीं जाने देने की धमकी दी गई।

अप्रार्थी संख्या 01 ता 04 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय काउन्टर टीआई में अंकित किया की प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 जिस कदर तहरीर की गई है स्वीकार नहीं है। वास्तविकता यह है कि ग्राम बुगालिया पटवार हल्का बिचपडी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर में खसरा नंबर 301 रकबा 4.4900 हैक्टेयर स्थित है जिसमें सरकारी सडक बनी हुई है तथा सडक के दोनों तरफ लगभग 60 फिट चौडी जमीन खाली है तथा उसके बाद ग्राम बुगालिया में बुनकर मौहल्ला बसा हुआ है तथा पक्के मकान बने हुए है जिनमें पानी बिजली के कनेक्शन भी लगे हुए है तथा प्रतिवादी का बाडा बना हुआ है जो लगभग 500 वर्गगज भूमि है, जिसके चारों तरफ पिल्लर गाड कर प्रतिवादीगण ने कई वर्षों से तारबंदी कर रखी थी तथा आम घर बना रखा है उसके बाद वादी की खातेदारी भूमि है जिसमें जाने के लिए अलग से रास्ता है तथा प्रतिवादी का बाडे पर लगभग 40 वर्षो से काबिज है प्रतिवादी संख्या 1 का राजस्व रिकॉर्ड में भी नाम अंकित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का बाडा डोली दर्शाया गया है इस प्रकार उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के आधिपत्य व स्वामित्व की भूमि है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 जिस कदर तहरीर की गई है बिल्कुल गलत है वादी के दावे व प्रार्थना पत्र के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि दिनांक 20.11.2022 को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। क्योंकि वादी स्वयं की अपने दावे में स्वीकार कर रहा है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने उसके विरूद्ध दिनांक 06.08.2022 को पुलिस थाना कालवाड में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है वादी व प्रतिवादीगण के बीच कई महिनों से तनाजा चल रहा है इसलिए दिनांक 20.11.2022 को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ न ही प्रतिवादीगण ने ऐसी कोई धमकी दी है एवं झूंठी कहानी बनाकर यह प्रार्थना पत्र व दावा पेश किया है जो कि सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। वादी जबदस्ती प्रतिवादीगण के आधिपत्य व स्वामित्व के बाडे में प्रतिवादीगण के बाडे में प्रतिवादीगण के उपयोग व उपभोग में व निर्माण कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे जिसके लिए इस जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रति अस्थाई निषेधाज्ञा (काउंटर टी आई) प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेश की गई है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त अप्रार्थीगण की विधिवत जरिये रजिस्टर्ड एडी तलवी की गई।

उभयपक्षीय विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with ACE Scanner

त्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। प्रार्थी का मुख्य अभिवचन रहा है कि अप्रार्थी संख्या 01 ता 04 प्रार्थी की भूमि के आगे स्थित रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर प्रार्थी के रास्ते को बंद कर प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग करने के अधिकार से वंचित कर देना चाहते है। परन्तु प्रार्थी ने इसके संबंध में किसी प्रकार कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे जाहिर हो कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 प्रार्थी के रास्ते को बंद करना चाहते हो या बंद कर दिया हो। जिससे प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

इसके विपरित अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने काउण्टर टी आई में अभिवचन किया है कि वादी अप्रार्थी की भूमि पर निर्माण कार्य एवं बाधा उत्पन्न करता है। परन्तु अप्रार्थीगण ने भी इसके संबंध में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे जाहिर हो की वादी जबदस्ती प्रतिवादीगण के आधिपत्य व स्वामित्व के बाडे में प्रतिवादीगण के बाडे में प्रतिवादीगण के उपयोग व उपभोग में व निर्माण कार्य में कोई बाधा उत्पन्न कर रहा हो।

प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया, तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत प्रति अस्थाई निषेधाज्ञा (काउंटर टी आई) अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर पू. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर